

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-58/2016/18-5
प्रति,

भोपाल दिनांक 25/10/2016

1. कलेक्टर,
जिला-बुरहानपुर
2. उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
खण्डवा ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत बुरहानपुर
4. आयुक्त
नगर पालिक निगम
बुरहानपुर ।

विषय :- बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत ।

राज्य शासन ने बुरहानपुर विकास 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है ।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें ।
संलग्न :- यथोपरि

Seefort,
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 25/10/2016

पृ0क0-एफ 3-58/2016/18-5
प्रतिलिपि :-

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को
संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित ।

Seefort,
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
क्र. 1500
दिनांक 02/11/16
राज्य Add. Dr. (TVL)
अधीक्षक आयुक्त

DD TC
04/11/16

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated 25/10/2016

No.F-3-58/2016/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, (Sanshodhit) 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby cancel's the earlier departmental Notification F3-58/2016/18-5 Dated 09-08-2016 and hereby notify the fresh proposal of following modifications for public information, in the Burhanpur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

| No. | Village | Khasara No. | Area (In Sq.mt.) | Land use specified in the development plan | Modified land use after modifications |
|-----|--------------------|---------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gram-Mohammad pura | Part of 218 | 1040 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| | | Part of 219 | 450 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| | | Part of 226/1 | 4008 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| | | Part of 227 | 450 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| | | Part of 228/1 | 5850 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| | | Part of 228/2 | 1800 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| | | Part of 231 | 2700 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| | | Part of 246 | 2025 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| | | Part of 247 | 8100 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| | | Part of 248 | 960 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| | | Part of 225 | 7650 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| | | Part of 226 | 90 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| | | Part of 228 | 13050 | Proposed Ring Road No. (45.00 Meter) | Mixed |
| | | Part of 229 | 6750 | Proposed Ring Road No. (45.00 Meter) | Mixed |
| | | Total | 54923 Sq.Mts. | | |

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Khandwa as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.


Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,


(C.K. Sadhav)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Housing Department


24/10/2016

मध्य प्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

सूचना

भोपाल, दिनांक 25/10/2016

क्रमांक एफ-3-58/2016/18-5:: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य शासन एतद् द्वारा पूर्व विभागीय सूचना एफ-3-58/2016/18-5 दिनांक 09.08.2016 को निरस्त किया जाता है व सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बुरहानपुर विकास योजना 2021 में नया उपांतरण प्रस्तावित करती है :-

उपांतरण का विवरण

| सं. क्र | ग्राम का नाम | खसरा क्र. | क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | विकास योजना अनुसार भू-उपयोग | उपांतरण अनुसार प्रस्तावित भू-उपयोग |
|---------|--------------|--------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | मोहम्मदपुरा | 218 का भाग | 1040 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| | | 219 का भाग | 450 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| | | 226/1 का भाग | 4008 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| | | 227 का भाग | 450 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| | | 228/1 का भाग | 5850 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| | | 228/2 का भाग | 1800 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | मिश्रित |
| | | 231 का भाग | 2700 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | मिश्रित |
| | | 246 का भाग | 2025 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| | | 247 का भाग | 8100 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| | | 248 का भाग | 960 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | मिश्रित |
| | | 225 का भाग | 7650 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | मिश्रित |
| | | 226 का भाग | 90 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | मिश्रित |
| | | 228 का भाग | 13050 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | मिश्रित |
| | | 229 का भाग | 6750 | प्रस्तावित रिंग-रोड क्रं.-2 (45.00 मीटर) | मिश्रित |
| योग :- | | | 54923 वर्गमीटर | | |

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी.के.साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

24/10/2014